

>

Title: Need to start the process of registration of properties in Delhi particularly in the West Delhi Parliamentary Constituency.

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली) : आज कल दिल्ली के रजिस्ट्रार के दफ्तरों में काम बंद पड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि सुप्रीमकोर्ट के एक आदेश के अनुसार दिल्ली में जनरल पावर ऑफ अटार्नी (जीपीए) बिल व एग्जीमेंट टू सेल को पूरी तरह से रोक दिया गया है, सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की ही रजिस्ट्री जारी है, जबकि दिल्ली में 90 प्रतिशत प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। डीड रजिटर आफिसों में खाली बैठे हैं, इसकी वजह से रजिस्ट्रार दफ्तरों में फैमिली जनरल पावर आफ अटार्नी भी नहीं हो पा रहा है। जिससे दिल्ली सरकार को हर रोज 35, 40 लाख रुपये के रेवन्यू का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली की 1639 प्राइवेट कालोनियों में जिनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं उनमें रजिस्ट्री चालू करने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें।